

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक /रीडर/ 2021/ 156

दिनांक - 9.4.21


प्रार्थी	वनाम	विप्रार्थीगण
3. नैनु देवी बेवा खेताराम जाति जाट	1. हीराराम पुत्र टीकमाराम जाति मेघवाल निवासी भीमराव अम्बेडर कॉलोनी बाड़मेर	
4. लक्ष्मण सिंह पुत्र खेताराम जाति जाट	2. हीरसिंह पुत्र खंगाराम जाति राजपूत निवासीयान वरिया भगजी तहसील पचपदरा	
5. मांगीलाल पुत्र खेताराम जाति जाट	3. राउराम पुत्र गुणाराम जाति जाट	
6. अचलाराम पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी धन्ने की ढाणी, माखरी खेड़ा, तहसील पचपदरा।	4. चिमाराम पुत्र गुणा राम जाति जाट	
	5. जीयाराम उर्फ पपुराम पुत्र गुणाराम जाति जाट	
	6. जालाराम पुत्र गुणाराम जाति जाट	
	7. भंवराराम पुत्र गुणाराम जाति जाट	
	8. लिखमाराम पुत्र दलाराम जाति जाट	
	9. अचलाराम पुत्र दलाराम जाति जाट	
	10. जोगाराम पुत्र नारणाराम जाति जाट	
	11. धरमाराम पुत्र नारणाराम जाति जाट	
	12. हस्ताराम पुत्र नारणाराम जाति जाट	
	13. जालाराम पुत्र नारणाराम जाति जाट	
	14. नोजी देवी पत्नी मानाराम जाति जाट	
	15. मूली देवी पत्नी दुर्गाराम जाति जाट	
	16. तुलसाराम पुत्र गिरधारीराम जाति जाट	
	17. पीराराम पुत्र गिरधारीराम जाति जाट	
	18. मेघाराम पुत्र गिरधारी राम निवासीयान माखरीखेड़ा, तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।	
	19. चुनाराम पुत्र दयाराम जाति मेघवाल निवासी टापरा	
	20. कमला देवी पत्नी मूलाराम जाति मेघवाल निवासी माखरी खेड़ा।	
	21. आम्बाराम पुत्र मसराराम जाति मेघवाल नि.कालूडी	
	22. पेमाराम पुत्र खेताराम जाति रवारी निवासी टापरा	
	23. मूलाराम पुत्र मोटाराम जाति मेघवाल नि.कालूडी	
	24. मोटाराम पुत्र कपूराराम जाति मेघवाल निवासी कालूडी तहसील पचपदरा।	
	25. राजस्थान सरकार भूमिधारक जरीये तह. पचपदरा।	

मुकदमा नंबर 230/2019

आदेश

दिनांक 9.4.21

उपर्युक्त प्रकरण सरहद मौजा माखरी खेड़ा, पटवार क्षेत्र टापरा, तहसील पचपदरा में मूल खसरा नंबर 164/15 रकबा 79 बीघा, सरहद विवादित। भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगढ़ी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमीश्नर शुल्क रूपर्य 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपर्य मात्र निर्धारित की जाती हैं जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तब उपस्थित पुलिस थाना से प्राप्त करें।



क्रमांक /रीडर/ 2021/ 157-16।

1. तहसीलदार पचपदरा पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. सम्बन्धित थानाधिकारी पुलिस थानाको पालना हेतु
3. पटवारी गोल सोढा तहसील पचपदरा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि का मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रार्थीगण नैनु देवी बेवा खेताराम जाति जाट निवासी धने की ढाणी हाल निवासी माखरी खेड़ा तहसील पचपदरा।
5. विप्रार्थीगण हीराराम पुत्र टीकमाराम जाति मेघवाल निवासी माखरी खेड़ा।

(नरेश सोनी)

उपस्थित अधिकारी

(S.D.O.) बालोतरा

दिनांक - 9.4.21

(S.D.O.) बालोतरा